न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व दरख्वास्त संख्या : 125/2013

सायला :-	बनाम	गैरसायलान :-
1. झमकुदेवी पत्नी नारायण जाति-बावरी, निवासी-जैतारण जिला-पाली (राज.)		1. नारायण पुत्र रुघा 2. हरकू बेवा मोडा 3. बंशी पुत्र मोडा 4. जगदीश पुत्र मोडा जातियान-बावरी निवासी-कुड़की 5. उप पंजीयन अधिकारी,जैतारण 6. तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 08/03/2013

उपस्थितः- 1. श्रीमति संगीता व्यास, अधिवक्ता, सायला।
2. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, प्रति0 सं0 1।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 08/07/2015

वकील मय सायला ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-कुडकी, पटवार हल्का-कुडकी, तहसील-जैतारण जिला-पाली में कृषि खसरा नम्बर 636 रकबा 1-19 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 637 रकबा 3-07 बीघरा, खसरा नंबर 638 रकबा 1-19 बीघा, कुल किता-3 कुल रकबा 7-05 बीघा व खसरा नंबर 674 रकबा 5 बीघा, खसरा नंबर 675 रकबा 7-06 बीघा, कुल किता-2 रकबा 12-06 बीघा किस्म बा0दो0 की आई हुई हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 636, 637, 638 की कृषि भूमि में गैरसायल संख्या एक नारायण का 1/2 हिस्सा तथा गैरसायल संख्या 2 से 4 का 1/2 हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा खसरा नंबर 674, 675 की सम्पूर्ण भूमि गैरसायल संख्या एक नारायण के नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं, जिसकी जमाबंदीयों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं, जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। गैरसायल संख्या एक आदतन शराबी प्रकृति का व्यक्ति हैं तथा शराब के नशे में हर समय धूत रहता हैं तथा मंदबुद्धि व भोला भाला व्यक्ति है, जो हर किसी के बहकावें व सिखावे में आ जाता है तथा गैरसायल संख्या 1 गैरसायलान संख्या दो से चार के बहकावें व सिखावट में आकर बिना किसी जायज जरुरत के अपनी सम्पूर्ण भूमि को बैचान हस्तान्तरण करने व रहन रखने को आमादा हैं। सायला गैरसायल संख्या एक की विवाहिता पत्नी है तथा कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं तथा सायला के आय का एक मात्र स्त्रोत उक्त कृषि भूमि ही है तथा गैरसायलान संख्या एक द्वारा गैरसायलान संख्या दो से चार के व किसी अन्य व्यक्ति के बहकावट व सिखावट में आकर अपने हिस्से की सम्पूर्ण कृषि भूमि का बैचान हस्तान्तरण रहन वसीयत बक्शीश आदि कर देता हैं, तो सायला को भूखे मरने की नौबत आ जायेगी तथा सायला भूमिहीन हो जायेगी तथा सायला भूमिहीन हो जायेगी तथा सायला को अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो जायेगा। दिनांक 05/02/2013

Scanned by CamScanner

को गैरसायल संख्या एक गैरसायल संख्या दो से चार के बहकावे व सिखावे में आकर बिना किसी जायज जरुरत के सायला को ऐलानिया धमकी दी कि मै उक्त वर्णित कृषि भूमि के सम्पूर्ण हिस्से का किसी अन्य व्यक्ति को बैचान हस्तान्तरण करके ही रहेगा। तब सायला ने ऐसा करने से मना किया व बहुत समझाईस की व हाथाजोडी की, परन्तु गैरसायल संख्या एक नहीं माना। अगर गैरसायल संख्या एक गैरसायल संख्या दो से चार के बहकावें व सिखावे में आकर बिना किसी जायज जरुरत को अपने सम्पूर्ण हिस्से का बैचान हस्तान्तरण किसी अन्य को कर देता है, तो सायला को असीम क्षति होगी का जरिया का भरण पोषण करना मुश्किल हो जायेगा तथा सायला अपने विधिक हक व अधिकारो से महरुम हो जायेगी, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढेगी। जिसको रोका जाने हेतु सायला की और से गैरसायलान के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हैं। तथ्यों, परिस्थितियों से सायला के पक्ष में बहुत ही मजबूत प्रथम दृष्टिया मामला है व सुविधा का संतुलन भी हर दृष्टिकोण से सायला के पक्ष में हैं। अगर गैरसायल संख्या एक द्वारा गैरसायल संख्या दो से चार के बहकावें व सिखावें में आकर बिना किसी जायज जरुरत के अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बैचान हस्तान्तरण किसी अन्य को कर देता है, तो अपूरणीय क्षति सायला को होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी। इसलिए सायला के पक्ष में व गैरसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अट्ल सेवा केन्द्र-कुड़की में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील गै0सा0 जबाब पेश करने का समय चाहते हैं। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। बहस वकुलाय सुनी गई। सायलान के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 08/03/2013 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी हैं। वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु गै0सा0 को पाबन्द किया गया था।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा-कुडकी, पटवार हल्का-कुडकी, तहसील-जैतारण जिला-पाली में कृषि खसरा नम्बर 636 रकबा 1-19 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 637 रकबा 3-07 बीघरा, खसरा नंबर 638 रकबा 1-19 बीघा, कुल किता-3 कुल रकबा 7-05 बीघा व खसरा नंबर 674 रकबा 5 बीघा, खसरा नंबर 675 रकबा 7-06 बीघा, कुल किता-2 रकबा 12-06 बीघा किस्म बा0दो0 भूमि की वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिनांक 08/03/2013 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबन्द वाद के निर्णय तक किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 08/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अट्ल सेवा केन्द्र-कुड़की पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner